उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3
संख्या–2431 / 8–3–2009–175विविध / 2009
लखनऊ: दिनांक: 20 मई, 2009

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम–1973 की धारा–59 की उपधारा–(13) में यह प्राविधान है कि धारा–59 की उपधारा (6) के खण्ड (ख), (ग), (घ) एवं (ङ.) के प्रयोजनार्थ उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के अधीन उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के सभी कृत्यों व कृत्यों से भिन्न, (जो विशेष आवास परिषद योजना) से सम्बंधित हैं, इस अधिनियम के द्वारा विकास प्राधिकरणों को समनुदेशित (Assigned) कृत्य समझे जाएंगे। परन्तु शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अभी भी भवन निर्माण सम्बंधी कार्यों का विनियमन आवास एवं विकास परिषद द्वारा किया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम–1973 की व्यवस्था के अनुरूप नहीं है।

2– अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद द्वारा तत्काल प्रभाव से उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भवन निर्माण सम्बंधी कार्यों का विनियमन यथा–मानचित्र स्वीकृति, अनाधिकृत निर्माण नियंत्रण एवं कम्पाउण्डिंग, आदि नियमानुसार विकास प्राधिकरण द्वारा किए जाएं।

3– कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

श्रीकृष्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश।
2– अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3– उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4– मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
5– अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राम निरंजन)
अनुसचिव।

U.O.-2009(30)